VIII

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
::: आदेश :::

का0आ0–15/बि0स0से0–20–03/2018 सा0प्र0..12530......../पटना–15, दिनांक...17.09.18

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–4685, दिनांक 25.06.2003, 1802 दिनांक 23.03.2006 तथा संकल्प ज्ञापांक–7566 दिनांक 14.07.2010 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) का संकल्प ज्ञापांक–390 दिनांक 31.01.2007 तथा संकल्प ज्ञापांक–7043, दिनांक 31.10.2008 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ–3 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान वेतन बैण्ड–रू0 15600–39100/– + ग्रेड वेतन–रू0 7600/– में तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/वरीयता क्रमांक/विभाग का नाम	तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि
1	2	3
1	श्री प्रेमचन्द्र झा, सेवा निवृत अवर सचिव, 2128 01.08.1956/31.07.2016 उद्योग विभाग	26.07.2014
2	श्री कमलेश शर्मा, से0नि0 अवर सचिव, 2125 02.02.1957/28.02.2017 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	25.07.2014
3	श्री राजेन्द्र राम, से0नि0उप सचिव, 1494 03.04.1957/30.04.2017 वित्त विभाग	16.05.2010

2. सहायक संयुक्त सम्वर्ग के गठन के बाद उनके प्रशासी विभाग द्वारा की गयी सेवा सम्पुष्टि नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लेगें और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवा सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जाय।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 566 दिनांक 18.10.1995 निर्गत किये जाने के पश्चात सहायक संयुक्त सम्वर्ग के कर्मियों को उनके तत्कालीन प्रशासी विभाग द्वारा परीक्षा से विमुक्ति प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लेगें और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग से विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी उक्त आदेश की सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा।

Path- E:\PK\ASHOK\ACP\SPT 2018

4. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) ए (I) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका 12 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

5. उपर्युक्त के आलोक में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त एम0 ए0 सी0 पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15/बि0स0से0–20–03/2018 सा0प्र0 12530 **/पटना–15, दिनांक** 17.9.18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15/बि0स0से0–20–03/2018 सा0प्र0 12530 **/पटना–15, दिनांक** 17.09.18

प्रतिलिपि :–संबंधित सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15/बि0स0से0–20–03/2018 सा0प्र0 12530 **/पटना–15, दिनांक** 17.9.18

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव (प्रभारी बिहार सचिवालय सेवा)/अवर सचिव (प्रभारी बिहार सचिवालय सेवा) तथा प्रशाखा पदाधिकारी–15, 16 एवं 17 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–15/बि0स0से0–20–03/2018 सा0 प्र0 12530 **पटना–15, दिनांक** 17.9.18

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (वि0ब0दा0नि0को0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

Path- E:\PK\ASHOK\ACP\SPT 2018